प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज, दिनांक सितम्बर 04, 2022

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 133 वाहनों का चालान किया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल-21 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त दीपू कुमार पुत्र बैरागी नि0 निघावें थआना निचलौल जनपद महराजगंज के कब्जे से 30 शीशी देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 450/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में व अभियुक्त रामऔतार पुत्र बृजकिशोर नि0 सोहसा थाना कोठीभार के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 452/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता संगीता देवी पत्नी दिनेश कुमार वार्ड नं0 4 विष्णुपुरी थाना नौतनवां जनपद महराजगंज के कब्जे से 37 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 187/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गैंगस्टर अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना श्यामदेउरवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त 1. अशोक सिंह पुत्र छोटेलाल नि0 चांदबारी थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर 2.आफताब आलम पुत्र खुर्शीद नि0 माल्हनपार थाना बांसगाव जनपद गोरखपुर 3. नितेश पाण्डेय पुत्र सुरेन्द्र नि0 कोटवा थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर 4. विवेक कुमार उर्फ लल्ला पुत्र विरेन्द्र शुक्ला नि0 परमेश्वरपुररर थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर के विरुद्ध थाना श्यामदेउरवां पर मु0अ0सं0 242/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त 01.सोमित मिजाई पत्र मंगेस मिजाई नि० डॉ० मिजाई हॉस्पिटल पड़घा भिमण्डी जिला थाणे महाराष्ट्र 02.स्येद शहान कमल पुत्र असद जेब मुहम्मद कमाल सा0 नाका नं0 1 के पीछे अमलापट्टी मोतीहारी पूर्वी चम्पारण बिहार के विरुद्ध थाना सोनौली पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 113 कस्टम एक्ट में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 38 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 03/04-09.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 24 अभियुक्तो को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।